

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22.11.24	<p>पमानली पेज हुई। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। न्यायालय में आज प्रार्थी को प्रधान प्रथम समझ पर तीन-तीन बार आवाजे लगवायी गयी। गावपट्ट आवाज लगवाने के उपरांत भी प्रार्थी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पमानली सन्तर्गत सारेख-4 नियम-3 जा० दी० के तहत नाम हाजरी व सख्त पंखी में खारिज करे जाती है। पमानली केवल शुमार होकर नकर ही काम होकर शरित्त दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>	